

कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी अलीगढ़।

पत्रांक- सी-677

/जि0का0अधि0/विज्ञप्ति/2026-27

दिनांक 29.06.2026

विज्ञप्ति

जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक 29.06.2026 के अनुपालन में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रमुख सचिव, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश लखनऊ के शासनादेश संख्या-2025/3313/58-1-2025 (1917687) दिनांक 17 सितम्बर, 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद अलीगढ़ के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजना में ऑगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की मानदेय पर संविदा आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। ऑगनबाड़ी कार्यकर्त्री के रिक्त पदों का परियोजनावार विवरण निम्नवत् है:-

SR no	परियोजना का नाम	आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री
		रिक्त पद
1	Akrabad	12
2	Aligarh city	23
3	Atruali	17
4	Bijuali	7
5	Chandus	19
6	Dhanipur	28
7	Gangiri	18
8	Gonda	17
9	Iglas	19
10	Jawan	25
11	Khair	19
12	Lodha	20
13	Tappal	13
	Total	237

उपरोक्त पदों का ग्रामसभा/वार्डवार विवरण एवं आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील एवं विकास खण्ड इत्यादि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चरप्पा की गई है साथ ही विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर अपलोड है।

विज्ञप्ति पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश :-

1. विज्ञापित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी।
2. ऑगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष होगी अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार होगी। मेरिट का निर्धारण इण्टरमीडिएट, स्नातक एवं परास्नातक के अंको के आधार पर किया जाएगा।
3. ऑगनबाड़ी कार्यकर्त्री पद हेतु आवेदिका की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। दिनांक 01.01.2026 को आयु 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक न हो, आयु के सम्बन्ध में हाई स्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि मान्य होगी।
4. चयन में उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला/विधिक तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला को वरीयता दी जायेगी।
5. विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत पति के मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी। तलाकशुदा/परित्यक्ता के सम्बन्ध मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे।
6. विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।
7. गरीबी रेखा से नीचे की विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिलाएं/गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से ऊपर की विधवा महिला/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाएं।

8. उपरोक्तानुसार अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।
 9. निवास एवं जाति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में तहसील से आनलाईन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे जिनका ऑनलाईन सत्यापन सम्भव हो।
 10. आय प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 3959/1-9-11-रा0-9 दिनांक 30.09.2021 (यथा संशोधित) के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे जिनका आनलाईन सत्यापन सम्भव हो।
 11. आवेदन पत्र विभागीय बेवसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर उपलब्ध फार्मेट पर ऑनलाईन व सही-सही सावधानीपूर्वक भरे जायेंगे। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रति, जो स्वच्छ व पठनीय हो, अपलोड की जायेगी, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाईन फार्म में किया गया होगा।
 12. ऑफलाइन/डाक द्वारा आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
 13. ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 20.07.2026 के मध्य रात्रि 12 बजे तक होगी।
- नोट :- रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

Digitally signed by
KRISHNA KANT RAI
Date: 29-06-2026
19:33:04
(कृष्ण कान्त राय)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
अलीगढ़।

पृष्ठांकन संख्या— / तददिनांकित्।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित—

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, अलीगढ़।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, अलीगढ़।
4. समस्त उपजिलाधिकारी, अलीगढ़ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि विज्ञप्ति की प्रति तहसील कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
5. समस्त सदस्यगण चयन समिति, अलीगढ़।
6. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित है कि विज्ञप्ति की प्रति विकास खण्ड कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
7. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी/प्रभारी जनपद अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि सूचना/विज्ञप्ति को परियोजना कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा करना सुनिश्चित करें।
8. जिला सूचना अधिकारी, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त विज्ञापन/विज्ञप्ति को न्यूनतम स्पेस में शासकीय दरों पर किन्ही दो समाचार पत्रों (दैनिक जागरण/हिन्दुस्तान/अमर उजाला)के अलीगढ़ संस्करण के अगले अंक में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
अलीगढ़।